

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

दिनांक:- 27.08.2025

---:::टेका वर्ष 2025 मेला म्हाडी हेतु निविदा की शर्तें:::---

- 1-यह कि मेला अवधि मेला म्हाडी 02.09.2025 से 04.09.2025 तक (कुल 03 दिन) तक होगी।
- 2-ऑनलाईन निविदा दिनांक 29.08.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से डाली जायेगी एवं तद्दिनांक को अपरान्ह 02:00 बजे गठित निविदा समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- 3-यह कि सफल निविदादाता को उक्त ठेके की 50 प्रतिशत धनराशि व अनुबन्ध हेतु निर्धारित मूल्य के (04 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क 03 दिन के अन्दर जमा करना होगा। अनुबन्ध पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ठेके की 50 प्रतिशत धनराशि कार्यादेश की तिथि से 05 दिन के अन्दर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर जमा जमानत राशि एवं जमा धनराशि जब्त कर ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
- 4-टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, 03 वर्ष का मेला लगाने का अनुभव ठेके में निर्धारित जमानत राशि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी, जो ठेके की किसी किस्त में समायोजित नहीं की जायेगी, एवं सफल रूप से ठेका समाप्त करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
- 5-यह कि नीलामी की शर्त संख्या 03 की शर्त का उच्चतम निविदादाता द्वारा उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि एवं धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा, एवं ठेका निरस्त करते हुये भविष्य में होने वाले निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
- 6-यह कि अपरिहार्य कारणोंवश जैसे प्राकृतिक आपदा (घनी वर्षा, आगजनी व अन्य) अथवा प्रशासनिक कारणोंवश यदि मेला अवधि में मेला बन्द रहता है, तो मेला अवधि बढ़ाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर को होगा।
- 7-यह कि ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
- 8-ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा, ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण/जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।
- 9-यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10-यह कि जनसामान्य की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी बरती जाती है, या मेला स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
- 11- किसी वाद-विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।
- 12-यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।
- 13-टैण्डर शुल्क दोनों ठेकों में अंकन 1298/- रु० (जी०एस०टी० सहित) देय होगा।
- 14-यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। जमानत राशि ठेका सन्तोष जनक पूर्ण होने पर ही वापस की जायेगी।

- 15-यह कि यदि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र /अभिलेख कूटरचित पाये जाते है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कानून कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 16- यह कि ठेके के निमित्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा।
- 17-जिन ठेकों पर कोई कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ-साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 18- यह कि अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
- 19-यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
- 20-निविदा आमंत्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा, बल्कि ई-टैण्डर/नीलामी वेबसाइट पर ही सूचित किया जायेगा।
- 21-इस निविदा सूचना के अन्तर्गत किये जाने वाले ठेकों हेतु न्यूनतम ऑफर प्रकाशित विज्ञप्ति में अंकित है।
- 22-पार्किंग स्थानों पर पार्किंग प्रभार की दरें निम्नलिखित होगी:-

नगर निगम सहारनपुर।	दो घण्टे के लिये (रुपये में)		क्रमवार एक घण्टे के लिये (रुपये में)		24 घण्टे (रुपये में)		मासिक पास (रुपये में)	
	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	10	20	5	10	40	80	600	1200

- 23- यह कि जो व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर पार्किंग कराना चाहते है, उन्हे नगर निगम सहारनपुर से पार्किंग लाईसेंस प्राप्त करना होगा, तथा पार्किंग में तैनात कर्मचारीगण पूर्ण ड्रैस मे आई0डी0 कार्ड सहित रहेंगे जिनकी सूची ठेकेदार व लाईसेंस धारक को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 24-मेला ठेके हेतु न्यूनतम ऑफर का विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	पत्रांक संख्या	ठेके का नाम	जमानत राशि/धरोहर राशि	हैसियत प्रमाण पत्र	गत वर्ष 2024 में जमा धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)	वर्ष 2025 हेतु न्यूनतम ऑफर धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	NZ8	मेला म्हाड़ी	3,06,000 / -	10 लाख	30,11,100 / -	30,60,000 / -

Digitally signed by
Sudhir Kumar Sharma
कर अधीक्षक
Date: 27-08-2025
10:07:58
नगर निगम सहारनपुर।

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग ई-निविदा

पत्रांक: 700 / सम्प0अनु0 / न0नि0सहा0 / 2025-26

दिनांक : 27.08.2025

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर में प्रत्येक वर्ष की भांति उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला म्हाड़ी (गंगोह रोड मानकमऊ) हेतु दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक (कुल 03 दिन) के लिये ई-निविदा आमन्त्रित की जा रही है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं-

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	ठेके का नाम	जमानत राशि/धरोहर राशि	हैसियत प्रमाण पत्र	गत वर्ष 2024 में जमा धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)	वर्ष 2025 हेतु न्यूनतम ऑफर धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	NZ8	मेला म्हाड़ी	3,06,000 / -	10 लाख	30,11,100 / -	30,60,000 / -

नोट 1- ठेके के निमित्त जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, 03 वर्ष का मेला लगाने का अनुभव, ठेके में निर्धारित टैण्डर राशि व जमानत राशि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी, निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

2- ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढ़ी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट www.saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध है।

3- ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4- जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नहीं होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

5- ऑनलाईन निविदा दिनांक 29.08.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम डाली जायेगी, एवं तद्दिनांक को सायं 02:00 बजे निविदा/नीलामी गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6- टैण्डर शुल्क में अंकन 1298 / - रु0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 26.08.2025 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभारी निरीक्षक, थाना कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3-प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र **दैनिक जागरण एवं दैनिक सरोहा बुलेटिन** पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नहीं होगा।

4-रिकार्ड कीपर को निविदा की व्यवस्था कराने हेतु।

5-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

Digitally signed by
Sudhir Kumar Sharma

कर अधीक्षक
Date: 27-08-2025
10:04:10
नगर निगम सहारनपुर।